न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

1 जगदीश गुप्ता पुत्र रामजीलाल गुप्ता
2 हरिप्रसाद पुत्र रामजीलाल गुप्ता
3 सीताराम पुत्र जगदीश गुप्ता

सभी जातियान महाजन निवासीयान नारौली डांग, तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सुपुर्दगी।

निर्णय

दिनांक–30.09.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की दुकान से 19 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं पेट्रोमैक्स के अवैध भण्डारण, कालाबाजारी करने के संदेह में जब्त किया गया था जिसके विरुद्ध श्री रामसिंह मीना, प्रवर्तन अधिकारी करौली ने थाना सपोटरा में एफ.आई.आर. संख्या 216 / 12 दर्ज कराई थी तथा न्यायालय हाजा में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6ए के तहत जब्तशुदा सिलेण्डरों एवं पैट्रोमैक्स को राजसात् करने बाबत् प्रकरण संख्या 13 / 2011 दर्ज कराया गया था जिसे न्यायालय हाजा ने दिनांक 30.11.2011 को स्वीकार किया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एस.बी. क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन संख्या 648 / 2012 उनवानी जगदीश वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2014 व 15.11.2016 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। न्यायालय हाजा का अभिलेख प्रकरण संख्या 13 / 2011 तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 216 / 12 थाना सपोटरा में एफ. आर. पेश हो चुकी है जो अभी न्यायालय में लंबित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण संख्या एस.बी. क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन संख्या 648 / 2012 उनवानी जगदीश वगै. बनाम सरकार में दिनांक 03.02.2014 व 15.11.2016 को निर्णय पारित किया है कि एफ.आई.आर. संख्या 216 / 12 थाना सपोटरा में पेश एफ.आर. के निर्णय के आधार पर यदि पिटीशनर प्रार्थना पत्र पेश करता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट एफ.आर. के निर्णय के आधार पर निर्णय पारित कर सकता है। जब तक एफ.आर. पर निर्णय पारित नहीं हो जाता, तब तक यह प्रकरण इस न्यायालय में अनावश्यक ही लंबित रहेगा। अंत में एफ. आर. के निर्णय होने पर प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार मांगते हुए प्रार्थना पत्र को वापिस लेने का कथन किया है।

अप्रार्थी प्रतिनिधि ने दौराने बहस कथन किया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या एस.बी. क्रिमिनल

रिवीजन पिटीशन संख्या 648 / 2012 उनवानी जगदीश वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2014 व 15.11.2016 में एफ.आई.आर. संख्या 216 / 12 थाना सपोटरा में न्यायालय में पेश एफ.आर. के निर्णय के आधार पर निर्णय किये जाने के आदेश हैं। तब तक यह प्रकरण इस न्यायालय में अनावश्यक लंबित रहेगा। अतः प्रार्थीगण को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाकर प्रार्थना पत्र को वापस लेने की स्वीकृति दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। एफ.आई.आर. संख्या 216 / 12 थाना सपोटरा में न्यायालय में पेश एफ.आर. के निर्णय के आधार पर प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

30/9/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर,
करौली